न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बलिया

जी.आर– 6740/15

16/07/2019 काराधीन अभियुक्त शिव कुमार उर्फ मखरा की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद साहिद के द्वारा जमानत आवेदन दिया गया है। जमानत आवेदन की एक प्रति अभियोजन को दी गई।

जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है यह एक उपरोक्त निर्दोष एवं कानून पसंद व्यपित है। जिसे ग्रामीण राजनीति के तहत झूठा मुकदमों में फंसाया गया है। यह कि उपरोक्त अभियुक्त सक्षम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन नहीं दिया है। यह कि उपरोक्त अभियुक्त दिनांक 06/07/2019 से न्यायिक हिरासत में मंडल कारा बेगूसराय में है। मुदालय को प्रस्तुत कार्यवाही की निश्चित तारीख नहीं जानकारी होने के कारण दिनांक 06/10/2018 को जमानत खंडित हो गया है। श्रीमान् के आदेशनुसार उपरोक्त मुदालय बंध पत्र देने को तैयार है। अभियुक्त गरीब एवं मजदूर है जो प्रदेश में मजदूरी का काम करता है। अभियुक्त के विरूद्ध विद्वान अभियोजन ने जमानत का पुरजोर विरोध किया, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता और अभियोजन को सुना।

अभिलेख का अवलोकन किया अभियुक्त पर आरोप धारा 461, 379 I.P.C का है। यह कि अभियुक्त दिनांक 06/07/19 से मंडल कारा में है। यह कि अभियुक्त उचित प्रतिभू का बंध पत्र पर दाखिल करने को तैयार है अतः अभियुक्त को मो0 10,000(दस हजार) के दो जमानतदारों का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

न्यायिक दंडाधिकारी